पत्रांकः 517 /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि–अनुभाग/2016–17/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

दिनांकः:देहरादून ::02 मई, 2016

समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर,
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0) वाणिज्य कर,
एवं समस्त वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0) उत्तराखण्ड।

विषयः– दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व प्राप्त धारा–31 के प्रार्थना पत्र एवं पुनः सुनवाई हेतु खोले गये वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 103/XXXVI(3)/2016/15(1)/2016 देहरादून, दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा–31 व धारा–32(6) हटा दी गयी हैं। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि दिनांक 31 मार्च, 2016 तक कर निर्धारण अधिकारियों के स्तर पर काफी संख्या में पूर्व की धारा–31 के प्रार्थना पत्र तथा पूर्व में धारा–31 के अन्तर्गत खोले गये वाद अनिस्तारित हैं। अतः इस प्रकार अनिस्तारित प्रार्थना पत्रों व वादों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु न्याय विभाग से निम्न तीन बिन्दुओं पर मार्गदर्शन प्राप्त किया गयाः–

1– उक्त अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2016 के जारी होने के उपरान्त धारा–31 के हटने के परिणामस्वरूप दिनांक 31 मार्च, 2016 तक जिन व्यापारियों द्वारा द्वारा पूर्व की धारा–31 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दाखिल किये गये हैं तथा ये प्रार्थना पत्र दिनांक 31 मार्च, 2016 के उपरान्त भी अनिस्तारित हैं, क्या उनका निस्तारण पूर्व की धारा–31 के अन्तर्गत किया जा सकता है ?

2– दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व प्रस्तुत किये गये धारा–31 के अन्तर्गत ऐसे प्रार्थना पत्र जिनका गुण दोष के आधार पर निस्तारण किये जाने के उपरान्त वाद को पुनः सुनवाई हेतु खोला जा चुका है एवं ये वाद दिनांक 31 मार्च, 2016 के उपरान्त भी अनिस्तारित हैं, क्या ऐसे वादों का निस्तारण पूर्व की धारा–32(6) की समय सीमा के अन्दर किया जा सकता है ?

3– ऐसे वाद जिनका निस्तारण दिनांक 31 मार्च, 2016 से पूर्व एकपक्षीय रूप से हुआ है तथा व्यापारी द्वारा इनके सम्बन्ध में पूर्व की धारा–31 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 31 मार्च, 2016 के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है अथवा किया जा सकता है, क्या ऐसे प्रार्थना पत्र व वाद का निस्तारण पूर्व की धारा–31 के अन्तर्गत किया जा सकता है ?

न्याय विभाग द्वारा इन बिन्दुओं पर स्पष्ट किया गया है कि उक्त अधिसूचना प्रवृत्त किये जाने तक अर्थात् दिनांक 31 मार्च, 2016 तक जो भी प्रार्थना पत्र विभाग को प्राप्त हो गये थे व ऐसे सभी वाद जो उक्त तिथि तक पुनः सुनवाई हेतु धारा–31 के अन्तर्गत खोले जा चुके हैं, को पूर्व की धारा–31 व धारा 32(6) के अन्तर्गत निस्तारित किया जा सकता है।

धारा–31 के अन्तर्गत ऐसे प्रार्थना पत्रों जो दिनांक 31 मार्च, 2016 के उपरान्त प्रस्तुत किये गये हैं, को पूर्व की धारा–31 के अन्तर्गत निस्तारित नहीं किया जा सकता है।

अतः समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि न्याय विभाग द्वारा प्राप्त उक्त मतानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(पीयूष कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।

पृ0प0सं0: 517 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।

4– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/रूद्रपुर/काशीपुर जोन।

5–ज्वाइन्टकमिश्नर(कार्य0/प्रव0)वाणिज्यकर,देहरादून/ऋषिकेश/हरिद्वार/रूडकी/काशीपुर/रूद्रपुर/ बाजपुर/खटीमा को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

7– श्री अनुराग मिश्रा, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, हरिद्वार एवं Web-Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।

8– डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।

9– कार्यालय अधीक्षक/विधि–अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

10– समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।

एडीशनल कमिश्नर (विशेष वेतनमान)
वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।